# न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, कोडरमा।

विविध अनुमति वाद संख्या–97/2022

प्रसंगः– रधुवीर राम – बनाम – निशा कुमारी

**आदेश**

07/01/2025

प्रस्तुत वाद उपायुक्त, कोडरमा के आदेशानुसार प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, कोडरमा के पत्रांक– 70/विधि दिनांक – 21/01/2023 द्वारा भूमि बिक्री करने की अनुमति से संबंधित वाद प्राप्त हुआ है। आवेदक श्री रधुवीर राम, पिता स्व0 त्रिवेण राम, ग्राम राणा मोहल्ला तिलैया बस्ती, पोस्ट झुमरी तिलैया, थाना तिलैया, जिला–कोडरमा ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 (i)(b) के तहत् मौजा तिलैया बस्ती, थाना नं0–244, खाता नं0–538, प्लॉट नं0–2143 एवं 2151, रकवा –12 डी0 मधे बिक्री रकवा–06 डी0, भूमि बिक्री हेतु अनुमति का माँग किया गया है।

तत् आलोक में अचल अधिकारी, कोडरमा का पत्रांक–2103 दिनांक–19.12.2024 के द्वारा प्रस्तावित भूमि का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा तिलैया बस्ती, थाना नं0–244, खाता नं0–538, प्लॉट नं0–2143 एवं 2151, रकवा –12 डी0 मधे बिक्री रकवा–06 डी0, भूमि उक्त भूमि विक्रेता की रैयती भूमि है। भूमि बिक्री अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते हैं। क्रेता एवं विक्रेता एक ही जाति के हैं एवं एक ही जिला के निवासी हैं प्रतिवेदित किया गया है, साथ ही अंचल अधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति दिया जा सकता है, का मंतव्य दिया गया है।

विक्रेता एवं क्रेता अपने–अपने साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रस्तुत कागजात के अनुसार विक्रेता श्री रधुवीर राम, पिता स्व0 त्रिवेण राम, का अंचल अधिकारी, कोडरमा, द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या– JHNBC /2021/124200 दिनांक–24.11.2021 के अनुसार जाति के कहार, है एवं आवासीय प्रमाण पत्र संख्या –JHLRCO/2021/519874 दिनांक–23.11.2021 के अनुसार श्री रधुवीर राम, पिता स्व0 त्रिवेण राम, ग्राम राणा मोहल्ला तिलैया बस्ती, पोस्ट झुमरी तिलैया, थाना तिलैया, जिला–कोडरमा के निवासी है। क्रेता निशा कुमारी, जाति प्रमाण पत्र संख्या– JHNBC/2022/02287 दिनांक–22.

01.2022 के अनुसार क्रेता जाति के कहार है एवं आवासीय प्रमाण पत्र संख्या– JHRCO/2022/282781 दिनांक–17.05.2022 के अनुसार क्रेता निशा कुमारी पति संतोष कुमार, ग्राम टिनवाटांड़ तिलैया बस्ती पोस्ट झुमरी तिलैया, थाना तिलैया, जिला–कोडरमा के निवासी है। जो अंचल अधिकारी, कोडरमा द्वारा निर्गत है। इस प्रकार क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जाति एवं एक ही, जिला के निवासी है। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। किसी के द्वारा कोई आपत्ति नही किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदन एवं मंतव्य के आधार पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (i)(b) $2^{nd}$ provision के तहत् प्रश्नगत भूमि मौजा तिलैया बस्ती, थाना नं0–244, खाता नं0–538, प्लॉट नं0–2143 एवं 2151, रकवा –12 डी0 मधे बिक्री रकवा–06 डी0, भूमि निशा कुमारी पति संतोष कुमार, ग्राम टिनवाटांड़ तिलैया बस्ती पोस्ट झुमरी तिलैया, थाना तिलैया, जिला–कोडरमा के नाम से बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। यह आदेश उपायुक्त, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक–2620/गो0 दिनांक–29.09.2011 के तहत् निर्गत आदेश से अच्छादित रहेगा। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, कोडरमा एवं अंचल अधिकारी, जयनगर को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।

अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2025.01.10 20:31:14 +05:30
Location: 192.168.31.74

CamScanner